रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 2017/फाल्गुन 1, 1938
No. 470] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 2017/PHALGUNA 1, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 524(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) मृदा स्वास्थ्य प्रबंध स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसएचएम कहा गया है) के अधीन सेवाओं का प्रशासन करता है और राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनएमएसए कहा गया) जिन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और जो (i) मृदा नमूनों का संग्रहण और प्रयोगशालाओं में परीक्षण के प्रति एकसमान दृष्टिकोण (ii) देश में सभी कृषि जोतों की सार्वभौमिक व्याप्ति (iii) प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की प्रस्थापना करती है ।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंध स्कीम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के अधीन पूर्वोक्त सेवाओं में भारत की संचित निधि से आवृत्ति व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7

के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे ।

(2) राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सेवाएं प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राही, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किंतु राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सेवाएं लेने के इच्छुक हैं 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यष्टि आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम, 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में वह विभाग, जो मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, किसी व्यष्टि से यह अपेक्षा करता है कि वह आधार प्रस्तुत करे, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि निकट पास पड़ोस जैसे ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाला विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा:

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन के अधीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्यांक (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालक अनुज्ञप्ति; या (v)) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय लेटरहैड पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; (vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड जिसमें नाम और फोटो हो ; या (vii) बैंक फोटो पास बुक या; (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) राशन कार्ड; या (x) कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट हो :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वस्थ्य कार्ड स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले विभाग द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन के अधीन मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों को कार्यान्वित करने वाला विभाग, सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों आदि के कार्यान्वयन अभिकरणों के जिला कार्यालयों या क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सेवाओं के फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को 31 मार्च, 2017 तक नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है और स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी ।

(2) यदि राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सेवाओं के फायदाग्राही निकटतम पास पडोस जैसे ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करें और राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वाथ्य प्रबंध तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीमों के अधीन सेवाओं के फायदाग्राही राष्ट्रीय पोषणीय कृषि मिशन की मृदा स्वास्थ्य प्रबंध और मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कमों के अधीन इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकते हैं ।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[सं. 8-6/2016-उर्वरक उपयोग]

आई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017

S. O. 524(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) in the Government of India is administering services under Soil Health Management Scheme (hereinafter referred to as SHM) and Soil Health Card Scheme (hereinafter referred to as SHC) under the National Mission for Sustainable Agriculture (hereinafter referred to as NMSA), which are being implemented by the State Governments and Union territory Administrations and offer (i) uniform

approach to collection of soil samples and testing at the laboratories, (ii) universal coverage of all the farm holdings in the country; and (iii) issue of Soil Health Cards after every two years;

And whereas, the aforesaid services under Soil Health Management Scheme and Soil Health Card Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to as the Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) An individual eligible to receive the services under SHM and SHC schemes of NMSA is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive services under SHM and SHC schemes of NMSA, who do not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar , but desirous of availing services under SHM and SHC Schemes of NMSA are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the department implementing SHM and SHC Schemes in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the near vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the department implementing SHM and SHC Schemes in the State Government or Union territory Administration may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary of services under SHM and SHC Schemes of NMSA, services under NMSA shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i). If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii). a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by the Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving Licence issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by the Department of Posts; or (vii) Bank Photo Passbook; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Ration Card; or (x) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the department implementing SHM and SHC schemes in the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free services under SHM and SHC Schemes of NMSA to beneficiaries, the department implementing SHM and SHC Schemes in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following; namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the district office or implementing agencies or field offices of SHM and SHC Schemes, etc., shall be given to beneficiaries of services under SHM and SHC Schemes of NMSA to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case the beneficiaries of services under SHM and SHC Schemes of NMSA are not able to enrol due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the department implementing SHM and SHC Schemes in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient

locations and the beneficiaries of services under SHM and SHC Schemes of NMSA may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their field offices under SHM and SHC Schemes of NMSA or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the states of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No.8-6/2016-Fert. Use]

I. RANI KUMUDINI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.25 15:25:15 +05'30'